FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0269 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 24/09/2026 13:35 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 18/08/2026 **Date To (दिनांक तक):** 22/09/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 13:35 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/09/2026 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 24/09/2026 13:35:40 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 170 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARAYALAY PANCHAT SAMITI, KATHUMAR JILA ALWAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MOHANSHYAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** LATE.MANGILAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2006 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BARODAKAN, KTHUMAR, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BARODAKAN, KTHUMAR, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SHIVRAM MEENA		पिता:RAMSWAROOP MEENA	1. PAVATA,KATHUMAR,ALWAR,R
2	MINNA KHAN		पति:MUSTAK KHAN	1. WARD 02,KTHUMAR,ALWAR,RAJASTH

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		35,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 35,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि परिवादी श्री मोहन श्याम पुत्र श्री स्व0 श्री मांगीलाल उम्र 20 साल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बडोदाकॉन तहसील कठुमर जिला अलवर ने दिनांक 18.08.2026 को समय 10.00 ए.एम. पर अपने मोबाईल नम्बर से मेरे मोबईल नम्बर पर जरिये वाट्सअप कॉल कर मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि साहब मैं मोहन श्याम पुत्र श्री स्व0 श्री मांगीलाल उम्र 20 साल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बडोदाकॉन तहसील कठुमर जिला अलवर का निवासी हूँ, मेरी बहन के ससूर श्री जलसिंह गुर्जर निवासी जटेरी, तहसील व जिला डीग की कन्ट्रेक्शन कम्पनी मैसर्स पोसवाल द्वारा ग्राम पंचायत में करवाये जाने वाले निर्माण व समस्त कार्य आदि की देखरेख मेरे द्वारा की जाती है। मैसर्स पोसवाल कम्पनी द्वारा ग्राम पंचायत में एफएसएसी योजना के अन्तर्गत टेण्डर के द्वारा राजीव गॉधी सेवा केन्द्र ईटोला का मरम्मत कार्य करवाया गया था। इस कार्य के 5,52,000 रूपये के बिल भुगतान हेतु पंचायत समिति कठूमर में करीब एक माह पूर्व दे दिये गये थे। जिनमें से हमारी फर्म को 3,00,000 रूपये का भुगतान हो गया तथा शेष 2,52,000 रूपये के बिलों को पास करवाने के लिए कई बार पंचायत समिति में एईएन श्री शिवराम व जेईएन श्रीमती मिन्ना खॉन से मिला तो दोनों ने ही भुगतान करवाने का आश्वासन देते रहे और बिलों का भुगतान नही किया। इसके बाद दोबारा मै दिनांक 14 व 15 तारीख को उक्त दोनों अधिकारियों से पूर्ण बिल पास करवाने के लिए मिला तो एईएन श्री शिवराम ने 40 हजार रूपये व श्रीमती मिन्ना खॉन जेईएन ने 15 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर बार-2 पैसों के लिए दोनों अधिकारी मेरे मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप कॉल कर रहे है। मै मेरे जायज काम के लिए दोनों अधिकारियों को रिश्वत नही देना चाहता हूँ और उनको रिश्वत लेते हुये रगें हाथ पकडवाना चाहता हूँ। मेरी उनसे कोई दुश्मनी, रंजिश व उधार का लेन देन बाकी नही है । आप मेरी कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी से हुई वार्ता अनुसार मामला रिश्वत के लेन देन का पाये जाने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को गोपनीय मांग सत्यापन की कार्यवाही के बारे में बताया गया तथा कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त तथ्यों का प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए कहा गया। इस पर परिवादी ने बताया कि साहब मुझे आपके कार्यालय में आने में समय लगेगा तथा दोनों अधिकारी मुझे पैसो के लिए बार-2 वाट्सअप कॉल कर रहे है। आप अपने किसी कर्मचारी को मेरे पास पंचवटी कॉम्पलेक्स अलवर पर भेज देना मै उसको इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश कर मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा दूगॅा। परिवादी की बातों को सही मानते हुये मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की आलमारी से विभागीय वाईस रिकॉर्ड निकलवाकर मय दो एसडी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी के हमराह लेकर मय कानि0 श्री राजवीर सिंह गाडी सरकारी के पंचवटी कॉम्पलेक्स अलवर के लिए रवाना होकर समय करीब 12.45 पीएम पर पंचवटी कॉम्पलेक्स अलवर पर पहुँचा, जहा पर परिवादी को जरिये वाट्सअप कॉल कर अपने पास बुलाया तथा परिवादी से परिचय कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने बाबत कहा गया तो परिवादी ने जरिये वाट्सअप कॉल हुई वार्ता अनुसार अपना एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसका अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया। इसके बाद समय करीब 01.10 पीएम पर गोपनीय मांग सत्यापन हेतु परिवादी को कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मैक सोनी को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में नया एसडी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी लगाकर व एक अन्य एसडी कार्ड सैनडिस्क 32 के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के सभी फोल्डर व दोनों एसडी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर कानि0 श्री राजवीर सिंह को जरिये फर्द सुपुर्द कर मांग सत्यापन की कार्यवाही के दौरान परिवादी को संदिग्ध आरोपीगण के पास भिजवाने से पूर्व वाईस रिकॉर्डर परिवादी को चालूकर देने एंव बाद मांग सत्यापन कार्यवाही के मय परिवादी के पंचवटी कॉम्पलेक्स अलवर पर उपस्थित होकर वाईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश करने की हिदायत कर परिवादी के साथ मांग सत्यापन हेतु पंचायत समिति कठूमर के लिए रवाना किया गया। समय करीब 4.00 पीएम पर श्री राजवीर सिंह कानि0 443 ने अपने मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल नम्बर पर जरिये वाट्सअप कॉल वार्ता कर बताया कि मै और परिवादी पंचवटी कॉम्पलेक्स अलवर से रवाना होकर समय करीब 03.05 पीएम पर पंचायत समिति कठूमर पर पहुँचे, जहा पर मैने परिवादी को वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी के चालू कर दिया जाकर परिवादी को संदिग्ध आरोपी श्री शिवराम एईएन के पास पंचायत समिति कठूमर में रवाना किया गया तथा मै उक्त पंचायत समिति के बाहर ही परिवादी पर नजर रखते हुये रूक गया। कुछ समय बाद परिवादी उस पंचायत समिति से बाहर निकलकर बस स्टेण्ड कठूमर में गली में गया तो मै भी उसके पीछे-2 बस स्टेण्ड पर चला गया, जहॉ पर परिवादी एक व्यक्ति से वार्ता करने लगा। वार्ता

करने के बाद वह व्यक्ति चला गया और परिवादी मेरे पास आया और विभागीय वाईस रिकॉर्ड मुझे सुपुर्द् किया, जिसे मैने बन्द कर अपने कब्जे में लिया। तब परिवादी ने मुझे बताया कि एईएन शिवराम मुझे उनके कार्यालय में नही मिलने पर मैने उनसे मेरे मोबाईल नम्बर से उसके मोबाईल नम्बर पर मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वाट्सअप कॉल किया तो मुझे बस स्टेण्ड कठूमर वाली गली में बुलाया, जहॉ जाकर मैने उनसे मेरे बिलो के बारे में बात की तो उन्होने मेरे से बिल पास करने की एवज में 40 हजार रूपये रिश्वत की मांग की, मेरे द्वारा उनसे रिकवेस्ट करने पर 35 हजार रूपये लेने में सहमत होकर मेरे से 10 हजार रूपये मौके पर ही प्राप्त कर 25 हजार रूपये की और मांग की गई है तथा अब मै जेईएन मिन्ना खॉन से और बात करता हूँ। इस पर वाईस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर चालूकर सूना तो परिवादी द्वारा बताई गई बातों की ताईद हुई। इस पर वाईस रिकॉर्डर से उक्त एसडी कार्ड को निकालकर माचिस की डिब्बी में रखकर अपने पास सुरक्षित रखा गया तथा वाईस रिकॉर्ड में दूसरा नया एसडी कार्ड लगाकर वाईस रिकॉर्डर व एसडी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर चालूकर परिवादी को जेईएन श्रीमती मिन्ना खॉन से वार्ता करने के लिए सुपुर्द् किया तो परिवादी ने जेईएन से लोकेशन जानने के लिए अपने मोबाईल से उनके मोबाईल नम्बर पर मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता की तो जेईएन ने अपने निवास स्थान वार्ड नम्बर-2 कठुमर पर बुलाया। इस पर हम दोनों वहा से रवाना होकर आरोपिया के निवास स्थान पर गये तो मैने परिवादी को वाईस रिकॉर्डर चालूकर दिया तो परिवादी उनके निवास में अन्दर चला गया तथा मै परिवादी पर नजर रखते हुये उस आवास के बाहर ही रूक गया। कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास आया तथा मुझे वाईस रिकॉर्डर पेश किया, जिसे मैने बन्द कर अपने कब्जे में रखा, तब परिवादी ने बताया की जेईएन मिन्ना खॉन से मेरे बिलों के बारे में बात हो गई है और उसने मेरे बिल पास करने की एवज में मेरे से 15 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर 5 हजार रूपये मौके पर ही प्राप्त कर 10 हजार रूपये की और मांग की गई है मैने उन दोनों से हुई वार्ताओं को रिकॉर्ड कर लिया है। इस पर वाईस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर चालूकर सूना तो परिवादी की बातों की ताईद हुई। इस पर परिवादी से वार्ता की तो परिवादी ने कानि0 द्वारा बताई गई बातों की ताईद की। इस पर परिवादी व कानि0 को अलवर आने की मुनासिब हिदयत दी गई। तत्पश्चात समय करीब 5.50 पीएम पर श्री राजवीर सिंह कानि0 मय परिवादी के बाद मांग सत्यापन कार्यवाही के पंचवटी कॉम्पलेक्स अलवर पर उपस्थित आया एंव मन् पुलिस निरीक्षक को मांग सत्यापन का वाईस रिकॉर्डर पेश किया। तत्पश्चात परिवादी ने कानि0 राजवीर सिंह द्वारा जरिये वाट्सअप कॉल बताई गई बाते बताई। मन् पुलिस निरीक्षक ने मांग सत्यापन वार्ता के दोनों एसडी कार्डो को बारी-2 से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर की सहायता से सरसरी तौर पर चालूकर सूना गया तो वार्ता में परिवादी व कानि0 राजवीर सिंह द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये वाट्सअप कॉल बताई गई बातो की ताईद होना व संदिग्ध द्वारा परिवादी से फर्म मैसर्स पोसवाल द्वारा करवाये गये कार्यो के बिल पास करने की एवज में आरोपी एईएन शिवराम द्वारा 40 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी द्वारा रिकवेस्ट करने पर 35 हजार रूपये लेने में सहमत होकर 10 हजार रूपये मौके पर ही प्राप्त कर 25 हजार रूपये और लेने के लिए सहमत होना एंव आरोपिया श्रीमती मिन्ना खॉन द्वारा उक्त बिल पास करने की एवज में 15 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर 5 हजार रूपये मौके पर ही प्राप्त कर 10 हजार रूपये की और मांग करना स्पष्ट रूप से पाया गया। वाईस रिकॉर्डर को मय एसडी कार्ड के वापिस बन्द कर उसको व दूसरे एसडी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। इसके बाद समय करीब 7.00 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री मोहन श्याम को दिनांक 19.09.2026 को समय 10.00 एएम पर अग्रिम कार्यवाही हेतु एसीबी कार्यालय भिवाडी में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत कर उसके निवास स्थान के लिए रवाना कर मय कानि0 राजवीर सिंह व वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड के रवाना एसीबी कार्यालय भिवाडी के लिए होकर समय करीब 10.45 पीएम पर कार्यालय में उपस्थित आया एंव वाईस रिकॉर्डर को मय एसडी कार्ड व अन्य दूसरे एसडी कार्ड को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा जाकर ताला लगाया गया। इसके बाद दिनांक 19.09.2026 को समय 9.30 एएम पर दो स्वतन्त्र गवाह उपलब्ध करवाने बाबत अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग भिवाडी के नाम कार्यालय पत्र जारी कर श्री सतीश कुमार हैड कानि0 11 को हमराह देकर स्वतन्त्र गवाह को हमराह लाने हेतु उक्त कार्यालय भिवाडी के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात समय करीब 10.10 एएम पर श्री सतीश कुमार हैड कानि0 मय दो स्वतन्त्र गवाहन के कार्यालय में उपस्थित आया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान से मन् पुलिस निरीक्षक ने परिचय कर उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम प्रीतम सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह उम्र 32 साल जाति राजपूत निवासी मकान नम्बर 10/956 अरावली विहार आरएचबी कॉलोनी भिवाडी हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग भिवाडी जिला खैरथल तिजारा व दूसरे ने अपना नाम साहिल खॉन पुत्र श्री जरनेल खॉन उम्र 29 साल जाति मेव निवासी ग्राम पोस्ट ग्वालदा, तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग भिवाडी जिला खैरथल तिजारा होना बताया। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान से कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही तो दोनों ने अपनी स्वेच्छा से अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। इसके बाद पाबन्द शुदा परिवादी श्री मोहन श्याम पुत्र श्री स्व0 श्री मांगीलाल उम्र 20 साल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बडोदाकॉन तहसील कठुमर जिला अलवर कार्यालय में उपस्थित आया। तत्पश्चात समय करीब 12.35 पीएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री प्रीतम सिंह कनिष्ठ सहायक व श्री साहिल खॉन कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग भिवाडी जिला खैरथल तिजारा का परिवादी श्री मोहन श्याम से परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 18.09.2026 को पेश किये गये लिखित प्रार्थना पत्र को पढवाया गया। दोनों गवाहान ने परिवादी के प्रार्थना पत्र को पढकर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने उसमें अंकित सभी तथ्य सही होना एंव प्रार्थना पत्र अपना हस्त लिखित होना बताया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने परिवादी की बातों को सही मानकर उसके प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात परिवादी तथा संदिग्ध आरोपी श्री शिवराम सहायक अभियन्ता के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता को परिवादी ने विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर में लगे एसडी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी में दिनांक 18.09.2026 को रिकॉर्ड किया गया था एंव जिसको दिनांक 18.09.2026 को चालूकर सुनकर वापिस बन्द कर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय की आलमारी में रखकर ताला लगाया गया था। उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे एसडी कार्ड को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में आलमारी का ताला खोलकर बाहर निकाला गया व वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में कार्यालय के लैपटाप की सहायता से लैपटॉप में टेबिल स्पीकर लगाकर सुना गया और परिवादी से सदिंग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत मांग के सम्बन्ध में की गई वार्ताओं की शब्द-ब-शब्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री मोहन श्याम द्वारा अपनी आवाज व संदिग्ध आरोपी श्री शिवराम सहायक अभियन्ता, कार्यालय पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर की आवाज की पहचान की गई। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपातंरण श्री राजवीर सिंह कानि0 से टकंण करवाया गया। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता का पैन ड्राईव बनवाने हेतु तीन खाली पैन ड्राईव मंगवायी जाकर तीनों पैन ड्राईव SANDISK ULTRA 16 GB खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर से लैपटॉप की सहायता से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री राजवीर सिंह कानि0 से बारी-बारी से तीन पैन ड्राईव तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पैन ड्राईव व एसडी कार्ड की हैश वैल्यू लेपटॉप मे एफटी के इमैजर की सहायता से श्री राजवीर सिंह कानि0 से निकलवाई जाकर उक्त हैश वैल्यू का प्रिटं लिया जाकर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद तीनों पैनड्राईव को अलग-2 प्लास्टिक के कवर में रखवाकर प्लास्टिक के कवर सहित प्लास्टिक की छोटी डिब्बी में रखवाकर पैन ड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर मार्का A-1, A-2, व A-3, अंकित किया जाकर मार्क A-1 व A-2 को सीह्ड मोहर कर गवाहान एवं परिवादी तथा सबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा तीसरे पैन ड्राईव की कपड़े की थैली मार्क A-3 को अनुसंधान हेतु पत्रावली पर अनशील्ड रखा गया। उक्त प्रक्रिया के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो पैन ड्राईव बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई है। इसके बाद मूल एसडी कार्ड को प्लास्टिक के कवर में रखवाकर प्लास्टिक के कवर सहित प्लास्टिक की छोटी डिब्बी में रखवाकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क SD अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया जाकर वजह सबूत को श्री सतीश कुमार हैड कानि0 के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एंव जब्ती तैयार पैनड्राईव रिश्वती राशि मांग सत्यापन पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 2.00 पीएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री प्रीतम सिंह कनिष्ठ सहायक व श्री साहिल खॉन कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग भिवाडी जिला खैरथल तिजारा के समक्ष परिवादी तथा संदिग्ध आरोपिया श्रीमती मिन्ना खॉन कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता को परिवादी ने विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर में लगे एसडी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी में दिनांक 18.09.2026 को रिकॉर्ड किया गया था एंव जिसको दिनांक 18.09.2026 को चालूकर सुनकर वापिस बन्द कर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय की आलमारी में रखकर ताला लगाया गया था। उक्त एसडी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी को कार्यालय की आलमारी से निकालकर वाईस रिकॉर्डर में लगाकर एसडी कार्ड को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में आलमारी का ताला खोलकर बाहर निकाला गया व वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में कार्यालय के लैपटाप की सहायता से लैपटॉप में टेबिल स्पीकर लगाकर सुना गया और परिवादी से सदिंग्ध आरोपिया द्वारा रिश्वत मांग के सम्बन्ध में की गई वार्ताओं की शब्द-ब-षब्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री मोहन श्याम द्वारा अपनी आवाज व संदिग्ध आरोपिया श्रीमती मिन्ना खॉन कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर की आवाज की पहचान की गई। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपातंरण श्री राजवीर सिंह कानि0 से टकंण करवाया गया। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता का पैन ड्राईव बनवाने हेतु तीन खाली पैन ड्राईव मंगवायी जाकर तीनों पैन ड्राईव SANDISK ULTRA 16 GB खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर से लैपटॉप की सहायता से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री राजवीर सिंह कानि0 से बारी-बारी से तीन पैन ड्राईव तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पैन ड्राईव व एसडी कार्ड की हैश वैल्यू लेपटॉप मे एफटी के इमैजर की सहायता से श्री राजवीर सिंह कानि0 से निकलवाई जाकर उक्त हैश वैल्यू का प्रिटं लिया जाकर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली किया गया।

इसके बाद तीनों पैनड्राईव को अलग-2 प्लास्टिक के कवर में रखवाकर प्लास्टिक के कवर सहित प्लास्टिक की छोटी डिब्बी में रखवाकर पैन ड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर मार्का A-4 , A-5 व A-6 अंकित किया जाकर मार्क A-4 व A-5 को सीव्ड मोहर कर गवाहान एवं परिवादी तथा सबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा तीसरे पैन ड्राईव की कपड़े की थैली मार्क A-6 को अनुसंधान हेतु पत्रावली पर अनशील्ड रखा गया। उक्त प्रक्रिया के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो पैन ड्राईव बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई है। इसके बाद मूल एसडी कार्ड को प्लास्टिक के कवर में रखवाकर प्लास्टिक के कवर सहित प्लास्टिक की छोटी डिब्बी में रखवाकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क SD-1 अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया जाकर वजह सबूत को श्री सतीश कुमार हैड कानि0 के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एंव जब्ती तैयार पैनड्राईव रिश्वती राशि मांग सत्यापन पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 4.00 पीएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री प्रीतम सिंह कनिष्ठ सहायक व श्री साहिल खॉन कनिष्ठ सहायक को एंव साथ ही परिवादी श्री मोहन श्याम को अग्रिम कार्यवाही हेतु संदिग्ध आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वत राशि साथ लेकर दिनांक 22.09.2026 को समय 06.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने व गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय करीब 5.00 पीएम पर जरिये वाट्सअप कॉल कर एसीबी कार्यालय कोटपुतली बहरोड स्टाफ को गोपनीय कार्यवाही में सहयोग करने हेतु दिनांक 22.09.2026 को समय 06.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देश दिये गये। इसके बाद दिनांक 22.09.2026 को समय करीब 6.30 एएम पर पूर्व का पाबन्द शुदा परिवादी श्री मोहन श्याम कार्यालय में उपस्थित आया, जिससे दोनों आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि बाबत पूछा गया तो अपने पास होना बताया। परिवादी के साथ ही पाबन्द शुदा स्टाफ चोकी एसीबी कोटपुतली बहरोड कार्यालय में उपस्थित आया। तत्पश्चात समय करीब 7.15 एएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री प्रीतम सिंह कनिष्ठ सहायक व श्री साहिल खॉन कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग भिवाडी जिला खैरथल तिजारा कार्यालय में उपस्थित आये। इसके बाद समय करीब 7.30 एएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री मोहन श्याम को मन् पुलिस निरीक्षक ने संदिग्ध आरोपीगण श्री शिवराम सहायक अभियन्ता एंव आरोपिया श्रीमती मिन्ना खॉन कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय पंचायत समिति कठुमर जिला अलवर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने बाबत कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 70 नोट कुल 35,000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। जिनके नम्बर फर्द पेशकशी व सुपुदर्गी नोट में अकिंत कर नोटों के नम्बर मन् पुलिस निरीक्षक एंव उपरोक्त गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। परिवादी द्वारा पेश शुदा भारतीय चलन मुद्रा के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाने के लिए श्री सतीश कुमार हैड कानि0 11 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर कार्यालय की एक टेबिल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त भारतीय चलन मुद्रा के 35,000/- रूपये को रखकर उन पर श्री सतीश कुमार हैड कानि0 11 से अच्छी तरह से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री मोहन श्याम की जामा तलाशी गवाह श्री साहिल खॉन से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्ति जनक वस्तु व सामान नहीं रहने दिया गया। तत्पश्चात उक्त फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त भारतीय चलन मुद्रा के 35,000/- रूपये के नोटो में से क्रम सख्या 1 से 50 तक के 25 हजार रूपये आरोपी श्री शिवराम एईएन को देने के लिए व क्रम सख्या 51 से 70 तक के 10 हजार रूपये आरोपिया श्रीमती मिन्ना खॉन जेईएन को देने के लिए श्री सतीश कुमार हैड कानि0 से अलग-2 करवाकर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बगल की बॉई जेब में रखवाये गये एंव परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटो को जब तक नही छुयेगा तब तक कि आरोपीगण रिश्वत की मांग नही करे तथा मांगने पर ही वह पाऊडर युक्त राशि उन्हे देवे, और ध्यान रखे की आरोपीगण रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखते है। परिवादी को आरोपीगण के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से काल/मिस कॉल देकर मन् पुलिस निरीक्षक को रिश्वत देने का ईशारा करने बाबत बताया। इसके पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर परिवादी व आरोपीगण के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात एक नये साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मगंवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त गिलास के घोल में श्री सतीश कुमार हैड कानि0 11 जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाया है, के दाहिने हाथ की अगुँलियों/अगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी व गवाहान तथा हाजरीन् को समझाया गया कि यदि आरोपीगण उक्त पाऊडर लगे नोटो को छुयेगे तो उनके हाथो में यह पाउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उनके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। जिससे साबित होगा कि उन्होने रिश्वती राशि मांगकर ग्रहण की है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को

कार्यालय से बाहर फिंकवाया गया एंव डिस्पोजल गिलास को जलवा कर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात पाऊडर लगाने वाले श्री सतीश कुमार हैड कानि0 11 के दोनो हाथो को साबुन एंव साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एंव ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। मैने भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये गये। तत्पश्चात ट्रेप बाक्स में रखी खाली शिशीयां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो किसी के पास भी कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही रहने दिये गये। परिवादी को कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया 08 जीबी सेनडिस्क एसडी कार्ड डालकर ऑपरेट करने की विधि समझाकर सुपुर्द किया गया। जिसकी फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थैलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजीटल वाईस टेपरिकार्डर पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय करीब 9.00 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्टाफ सदस्य श्री राजवीर सिंह कानि0 443, परिवादी श्री मोहन श्याम व गवाह श्री प्रीतम सिंह के एक प्राईवेट गाडी के तथा स्टाफ सदस्य श्री झाबर सिंह हैड कानि0 27, श्री सुरेश कुमार कानि0 424, श्री सुभाष कानि0 353 व श्री सतपाल कानि0 294 व गवाह श्री साहिल खॉन के दूसरे प्राईवेट वाहन एंव श्री लल्लूराम कानि 487, श्री शहरून कानि0 175, श्री रवि कुमार कानि0 352 व श्रीमती मिनाक्षी महिला कानि0 62 के तीसरे प्राईवेट वाहन मय ड्राईवर के वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के एसीबी कार्यालय भिवाडी से पंचायत समिति कठूमर के लिए रवाना होकर समय करीब 1.00 पीएम पर मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा पंचायत समिति कठूमर के नजदीक पहुँचे, जहा पर वाहनों को रोड के एक साईड में खडा करवाकर परिवादी को वाहन से नीचें उतारकर तथा कानि0 श्री राजवीर सिंह से वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड के चालू करवाकर वक्त रिश्वत राशि लेन देन के समय परिवादी व संदिग्ध आरोपीगण के मध्य होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिए परिवादी को सुपर्द करवाकर रवाना आरोपीगण के पास पंचायत समिति कठूमर के लिए किया गया तथा बाकि स्टाफ सदस्य भी वाहनों से नीचें उतरकर अपनी-2 उपस्थिति छुपाते हुये उक्त कार्यालय के अन्दर व बाहर खडे होकर परिवादी के ईशारे का ईन्तजार करने लगे। समय करीब 01.35 पीएम पर परिवादी श्री मोहन श्याम पुत्र श्री स्व0 श्री मांगीलाल उम्र 20 साल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बडोदाकॉन तहसील कठूमर जिला अलवर ने पंचायत समिति भवन के बरामदे से मन् पुलिस निरीक्षक व ट्रेप पार्टी को रिश्वत स्वीकृति का निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फेरकर किया। परिवादी का ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादी के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी से सुपुर्दशुदा डिजिटल टेपरिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया जाकर अपने कब्जे में लिया गया। तत्पश्चात परिवादी ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि साहब मैं आपके निर्देशानुसार पंचायत समिति कठूमर में आया तो श्री शिवराम सहायक अभियन्ता मुझे नरेगा ऑफिस में मिले, जिनसे मैने मेरे बिलों के सम्बन्ध में वार्ता की तो एईएन साहब ने मुझे अपने साथ लेकर विकास अधिकारी के कक्ष में आये और कहा कि आज ही आपका काम हो जायेगा आप तो तय शुदा पैसे दो। इस पर मैने उनके कहे अनुसार अपनी पेन्ट की दाहिनी जेब से उनके द्वारा तय शुदा फिनालफ्थैलीन पाऊडर युक्त रिश्वत राशि 25,000 रूपये निकालकर उनको दिये तो उन्होने अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की अन्दर की सामने की दाहिनी जेब में रख लिए। इसके बाद मै उनके पास से रवाना होकर श्रीमती मिन्ना खॉन कनिष्ठ अभियन्ता के कक्ष पर गया तो वह मुझे नही मिली। इस पर मैने मेरे मोबाईल नम्बर से उनको उनके मोबाईल नम्बर पर वार्ता की तो उन्होने मुझे कहा कि मै थोडी देर में आती हुँ। इस पर मै उनके इन्तजार में कार्यालय पंचायत समिति कठुमर में उनके कक्ष के बाहर ही खडा रहा। कुछ समय बाद श्रीमती मिन्ना खॉन कनिष्ठ अभियन्ता प्रधान कक्ष में आई, जिनसे मै मिला एंव मेरे बिलों के बारे में वार्ता की तो उन्होने कहा कि आपका काम हो जायेगा आप तो पैसे दे जावो। आप हमेशा मुझे ही मारते रहते हो। आधा अधूरे पैसे लाता है। आज तो पूरे ही लुंगी। इस पर मैने उनके कहे अनुसार अपनी पेन्ट की दाहिनी जेब से उनकी तय शुदा रिश्वत राशि फिनालफ्थैलीन पाऊडर युक्त 10,000 रूपये निकालकर उनको दिये तो उन्होने अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर अपने हाथ में ही रख लिये। फिर परिवादी ने विकास अधिकारी कक्ष की और ईशारा कर बताया कि सहायक अभियन्ता शिवराम इस कक्ष में बैठा है तथा श्रीमती मिन्ना खॉन कनिष्ठ अभियन्ता प्रधान कक्ष में बैठी हुई है। दोनों के द्वारा उनकी तय शुदा रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद मैने मौका पाकर आपको निर्धारित ईशारा कर दिया। इस पर विकास अधिकारी कक्ष के बाहर श्री लल्लूराम कानि0 487 व श्री शहरून कानि0 175 को एईएन की निगरानी के लिए छोडा जाकर मन पुलिस निरीक्षक मय श्रीमती मिनाक्षी महिला कानि0 62, परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान एंव ट्रेप पार्टी सदस्यों के प्रधान कक्ष में प्रवेश किया तो उक्त कक्ष में दाहिनी तरफ गुलाबी सलवार सूट पहने हुये बैठी औरत की तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि साहब ये ही श्रीमती मिन्ना खॉन कनिष्ठ अभियन्ता है, जिन्होने मुझसे फर्म मैसर्स पोसवाल द्वारा ग्राम ईटोला में राजीव गॉधी सेवा केन्द्र की मरम्मत के करवाये गये कार्यो के बिल पास करने की एवज में अपनी तय शुदा रिश्वत राशि 10,000 रूपये अपने दाहिने हाथ से प्राप्त किये है। इस पर उक्त औरत को मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मिन्ना खॉन पत्नि श्री मुस्ताक खॉन उम्र 32 साल जाति मेव निवासी मीना कॉलोनी बेलाका अलवर हाल वार्ड नम्बर-02 कठूमर जिला अलवर हाल कनिष्ठ

अभियन्ता (संविदा) कार्यालय पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर होना बताया। तत्पश्चात श्रीमती मिन्ना खॉन जेईएन से परिवादी से अभी ली गई रिश्वत राशि बाबत पूछा कि वह कहा है तो अपने हाथ में होना बताया। इसके बाद मिन्ना खॉन को डिटेन कर मय हमराहियान के वहा से विकास अधिकारी के कक्ष में लाया जाकर सोफे पर बैठाया गया। इसके बाद उक्त कक्ष में दाहिनी तरफ सोफे पर पेन्ट शर्ट पहने हुये बैठे व्यक्ति की तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि साहब ये ही श्री शिवराम सहायक अभियन्ता है, जिन्होने मुझसे फर्म मैसर्स पोसवाल द्वारा ग्राम ईटोला में राजीव गॉधी सेवा केन्द्र के मरम्मत के किये कार्यो के बिल पास करने की एवज में अपनी तय शुदा रिश्वत राशि मांगकर अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखे है। इस पर उक्त व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शिवराम मीना पुत्र श्री रामस्वरूप मीना उम्र 58 साल जाति मीना निवासी ग्राम पावटा, तहसील कठुमर जिला अलवर हाल सहायक अभियन्ता कार्यालय पंचायत समिति कठुमर जिला अलवर होना बताया। तत्पश्चात आरोपी श्री शिवराम मीना सहायक अभियन्ता से परिवादी श्री मोहन श्याम से मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.09.2026 को 35,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर प्राप्त किये गये 10,000 हजार रूपये व अपनी उक्त मांग के अनुशरण में आज रिश्वत राशि लेन देन के समय परिवादी से प्राप्त की गई शेष रिश्वत राशि 25,000 रूपये बाबत पूछा गया कि आप परिवादी से उक्त रिश्वत राशि की मांग किस कार्य के लिए की गई है एंव आज परिवादी से उक्त 25,000 रूपये किस काम के लिये है तथा वह रूपये कहां पर है, तो आरोपी ने बताया कि श्री मोहन श्याम की फर्म मैसर्स पोसवाल द्वारा ग्राम ईटोला में राजीव गॉधी सेवा केन्द्र की मरम्मत का कार्य किया गया है, जिसके लिए श्री मोहन श्याम दिनांक 18.09.2026 को समय करीब 03.07 पीएम पर अपने मोबाईल नम्बर 6376423743 से मेरे मोबाईल नम्बर   पर जरिये वाट्सअप कॉल कर मुझे कहा कि कहा पर हो एईएन साहब तो मैने कहा कि बस स्टेण्ड वाली गली में होना एंव इनको वही बुलाया था। कुछ समय बाद ये मेरे पास आया और अपने कुछ बिलों को पास करने के लिए कहा तो मैने कहा कि कर देगे। उस समय मैने इससे कोई रिश्वत की मांग नही की। इसके बाद इसने जबरदस्ती कुछ रूपये मिठाई पानी के लिए मेरी जेब में रख दिये, जो मेरे से खर्च हो गये है। इसके बाद यह आज मुझे अपने उक्त नम्बर से समय करीब 12.50 पीएम पर कॉल किया और कहा कि एईएन साहब कहा हो तो मैने इनको नरेगा कक्ष में होना बताया। कुछ समय बाद यह मेरे पास नरेगा कक्ष में आया और अपनी फर्म द्वारा करवाये गये कार्यों के बिलों के बारे में बात की तो मैने इनको वार्ता करते हुये विकास अधिकारी के कक्ष में लाया और इनको कहा कि आपका काम आज हो जायेगा। तब इन्होने अपनी जेब से 500-500 रूपये के कुछ नोट निकालकर मुझे दिये तो मैने अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रख लिये जो अभी मेरी जेब ही रखे हुये है। मुझे नही पता वे कितने है। मैने इनसे कोई रिश्वत की मांग नही की। इस पर पास ही खडे परिवादी श्री मोहन श्याम से पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि साहब श्री शिवराम जी एईएन साहब झूठ बोल रहे है है मेरी बहन के ससूर श्री जलसिंह गुर्जर की फर्म मैसर्स पोसवाल द्वारा टेण्डर से ग्राम ईटोला में राजीव गॉधी सेवा केन्द्र के मरम्मत का कार्य किया गया था, जिसके लगभग 2,52,000 रूपये के बिल बाकी है, जिनको पास करवाने के लिए मै दिनांक 14 व 15 को एईन साहब से मिला तो इन्होने मेरे से 40,000 हजार रूपये रिश्वत की मांग की। इसके बाद मेरे द्वारा आपके कार्यालय में शिकायत करने पर आपके द्वारा करवाये गये मांग सत्यापन दिनांक 18.09.2026 को जब मै इनके पास पंचायत समिति कठुमर में आया तो ये मुझे नही मिले इस पर मैने इनको मेरे मोबाईल   से इनके मोबाईल नम्बर   पर जरिये वाट्सअप कॉल किया तो इन्होने मुझे बस स्टेण्ड वाली गली कठुमर पर बुलाया। मै वहा इनके पास गया तो इन्होने मेरे से हमारी फर्म मैसर्स पोसवाल द्वारा करवाये गये उक्त कार्यो के बिल पास करने की एवज में 40,000 रूपये रिश्वत की मांग की। इस पर मेरे द्वारा इनसे कम करवाने पर ये 35,000 रूपयें में सहमत होकर मेरे से मौके पर ही 10,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर 25,000 रूपये और रिश्वत राशि की मांग की गई। इसके बाद आज दिनांक 22.09.2026 को समय करीब 12.50 इनकी तय शुदा रिश्वत राशि देने के लिए पंचायत समिति कठुमर पर आया तो ये मुझे नही मिले इस पर मैने मेरे मोबाईल नम्बर 6376423743 से इनके मोबाईल नम्बर   पर वार्ता की तो इन्होने मुझे नरेगा कक्ष में बुलाया। मै इनके कहे अनुसार नरेगा कक्ष में गया और इनसे मिलकर मेरे बिलों के सम्बन्ध में वार्ता की तो एईएन साहब मुझे अपने साथ लेकर विकास अधिकारी के कक्ष में आये और कहा कि आज ही आपका काम हो जायेगा आप तो तय शुदा पैसे दो। इस पर मैने इनके कहे अनुसार अपनी पेन्ट की दाहिनी जेब से इनके द्वारा तय शुदा रिश्वत राशि फिनालफ्थैलीन पाऊडर युक्त 25,000 रूपये निकालकर इनको दिये तो इन्होने अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की अन्दर की सामने की दाहिनी जेब में रख लिए। इस पर आरोपी को पुनः रिश्वत राशि बाबत पूछा तो कुछ नही बोला एंव चुप रहा। इसके बाद आरोपिया श्रीमती मिन्ना खॉन कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) कार्यालय पंचायत समिति कठुमर जिला अलवर से परिवादी श्री मोहन श्याम से फर्म मैसर्स पोसवाल द्वारा ग्राम ईटोला में टेण्डर के माध्यम से राजीव गॉधी सेवा केन्द्र की करवाये गये मरम्मत कार्यों के बिलो को पास करने की एवज में मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.09.2026 को मागं की गई रिश्वत राशि 15,000 रूपये व उसी दिन मौके पर प्राप्त की गई 5,000 रूपये तथा अपनी मांग के अनुशरण में आज दिनांक 22.09.2026 को वर वक्त रिश्वत राशि लेने देने के समय प्राप्त की गई अपनी तय शुदा रिश्वत राशि 10,000 रूपये बाबत पूछा गया कि आपने यह रिश्वत राशि किस काम के

लिए मांग कर प्राप्त की गई है तो आरोपिया ने बताया कि दिनांक 18.09.2026 को समय करीब 03.52 पीएम पर श्री मोहन श्याम ने अपने मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल नम्बर पर जरिये वाट्सअप कॉल कर कहा कि मैडम कहॅा हो तो मैने कहा कि मै अपने घर कठुमर पर हूँ। इस पर ये मेरे घर आये और अपनी फर्म मैसर्स पोसवाल के द्वारा ग्राम ईटोला में राजीव गॉधी सेवा केन्द्र की मरम्मत के करवाये गये कार्यो के बिल पास करने के बारे में बात की तो मैने इनको कहा कि आपका बिल पास हो जायेगा। तब इन्होने मुझे मिठाई पानी के नाम से 5,000 रूपये दिये थे, जो मेर से खर्च हो गये है, लेकिन मैने इनसे कोई रिश्वत की मांग नही की गई। इसके बाद आज दिनांक 22.09.2026 को समय करीब 01.13 पीएम पर अपने मोबाईल से मेरे मोबाईल पर कॉल किया और कहा कि मैडम कहा हो तो मैने कहा कि मै बाहर आ गई अभी आती हूँ। जब मै पंचायत समिति में आई तो यह मेरे पास प्रधान कक्ष में आया और अपने बिलों के बारे में बात की तो मैने कहा कि पास हो जायेगे। इस पर इन्होने मेरे को 500-500 रूपये के कुछ नोट दिये जो मैने इनसे अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर अपने हाथ में ही रख लिए जो अभी भी मेरे हाथ में ही है, लेकिन मैने इनसे कोई रिश्वत की मांग नही की गई। इस पर पास ही खडे परिवादी से पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि साहब मैडम झूठ बोल रही है। हमारी फर्म मैसर्स पोसवाल द्वारा टेण्डर से ग्राम ईटोला में राजीव गॉधी सेवा केन्द्र के मरम्मत का कार्य किया गया था, जिसके बिल पैण्डिंग है। उक्त बिल पास करने के लिए मै मैडम से 14 व 15 तारीख को मिला तो इन्होने मेरे से उक्त बिल पास करने की एवज में 15,000 हजार रूपये की मांग की गई। इसके बाद मेरे द्वारा आपके कार्यालय में शिकायत करने पर आप द्वारा करवाये गये मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.09.2026 को जब मै पंचायत समिति कठूमर पर आया तो यह मुझे नही मिली। इस पर मैने मेरे मोबाईल नम्बर से इनके मोबाईल नम्बर पर वार्ता की तो इन्होने अपने घर कठुमर पर होना और मुझे वही बुलाया, जिस पर मै इनके घर गया और इनसे मिलकर हमारी फर्म के बिलों को पास करने के सम्बन्ध में वार्ता की तो इन्होने मेरे से बिल पास करने की एवज में 15,000 रूपये रिश्वत की मांग कर 5,000 रूपये मौके पर ही प्राप्त कर 10,000 रूपये रिश्वत की और मांग की गई। इस पर मै आज दिनांक 22.09.2026 को इनकी मांग अनुसार इनकी तय शुदा रिश्वत राशि देने हेतु इनके पास आया तो ये मुझे अपने कक्ष में नही मिली जिस पर मैने अपने मोबाईल नम्बर ये इनके मोबाईल नम्बर पर वार्ता की तो इन्होने मुझे कहा कि मै आ रही हुँ आप वही बैठो। इस पर मै पंचायत समिति में ही इनके कक्ष के बाहर खडा हो गया। कुछ समय बाद जब मैडम आई और प्रधान के कक्ष में गई तब मै इनसे मिला और अपने बिलों को पास करने के सम्बन्ध में वार्ता की तो इन्होने कहा कि आपका काम हो जायेगा आप तो पैसे दे जावो। आप हमेशा मुझे ही मारते रहते हो। आधा अधुरे पैसे लाता है। आज तो पूरे ही लुंगी। इस पर मैने इनके कहे अनुसार अपनी पेन्ट की दाहिनी जेब से इनकी तय शुदा रिश्वत राशि फिनालफ्थैलीन पाऊडर युक्त 10,000 रूपये निकालकर इनको दिये तो इन्होने अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर अपने हाथ में ही रख लिये। इस पर आरोपिया से पुनः रिश्वत राशि बाबत पूछा गया तो कुछ नही बोली और चुप रही। इसके बाद उक्त कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर से साफ प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो साफ पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उक्त दोनों गिलासों में पानी भरवाकर श्री लल्लूराम कानि0 487 से दोनों गिलासों में सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। तत्पश्चात् एक गिलास के घोल में आरोपी श्री शिवराम सहायक अभियन्ता पंचायत समिति कठुमर जिला अलवर के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को तथा दूसरे गिलास के घोल में उसके बायें हाथ की अगुलियां/अंगूठे को बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो आरोपी के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे के धोवन का रंग गुलाबी तथा बॉये हाथ की अंगुलियों/अंगूठे के धोवन का रंग गैदमैला हो गया जिसे मौजूदगान ने देखकर गुलाबी व गैदमैला होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त दोनों गिलासों के धोवन को दो-दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1,R-2 व L-1, L-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। इसी प्रकार पूर्व की भॉति उसी पानी के कैम्पर से साफ प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो साफ पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उक्त दोनों गिलासों में पानी भरवाकर श्री लल्लूराम कानि0 से दोनों गिलासों में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। तत्पश्चात एक गिलास के घोल में आरोपिया श्रीमती मिन्ना खॉन कनिष्ठ अभियन्ता(संविदाकर्मी) कार्यालय पंचायत समिति कठुमर जिला अलवर के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को तथा दूसरे गिलास के घोल में उसके बायें हाथ की अगुलियां/अंगूठे को बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो आरोपी के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे के धोवन का रंग हल्का गुलाबी तथा बॉये हाथ की अंगुलियों/अंगूठे के धोवन का रंग गैदमैला हो गया जिसे मौजूदगान ने देखकर हल्का गुलाबी व गैदमैला होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त दोनों गिलासों के धोवन को दो-दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-3, R-4 व L-3, L-4 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। तत्पश्चात गवाह श्री प्रीतम सिंह से आरोपी श्री शिवराम सहायक अभियन्ता पंचायत समिति कठुमर जिला अलवर की जामा तलाशी लिवाई गई तो गवाह ने आरोपी के बदन पर पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में कुछ रूपये होना बताया। जिसको गवाह से बाहर निकालने एंव फिर दोनो गवाहन से गिनने एवं कार्यालय मे बनी फर्द पेशकशी

एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नंबरों से मिलान करने बाबत कहा तो श्री प्रीतम सिंह ने आरोपी की दाहिनी जेब से 500-500 रूपये के कुछ नोट बाहर निकाले एंव फिर दोनों गवाहान ने गिनकर भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 50 नोट कुल 25,000/-रूपये होना एंव नोटों के नंबरों का फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान कर क्रम सख्या 1 से 50 तक होना तथा नोटो के नम्बर एक समान होना बताया। बरामदशुदा उक्त भारतीय चलन मुद्रा के नोटों को एक सफेद कपडे के साथ नत्थीकर सील मोहर कर संबंधितां के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद आरोपिया श्रीमती मिन्ना खॉन कनिष्ठ अभियन्ता को अपने दाहिने हाथ में रखी रिश्वत राशि पेश करने बाबत कहा गया तो आरोपिया ने अपने दाहिने हाथ में रखे 500-500 रूपये के कुछ नोट पेश किये। जिनको गवाह श्री साहिल खॉन के पास रखवाकर फिर दोनों गवाहान को गिनने व कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी रिश्वत राशि के नम्बरो से मिलान करने बाबत कहा गया तो दोनों गवाहान ने गिनकर 500-500 रूपये के 20 नोट कुल राशि 10,000 रूपये होना एंव उक्त बरामद शुदा नोटों के नम्बरो का कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी रिश्वत राशि में अकिंत नोटों के नम्बरों का मिलान कर क्रम सख्या 51 से 70 तक होना एंव दोनों के नम्बर एक समान होना बताया। बरामदशुदा उक्त भारतीय चलन मुद्रा के नोटों को एक सफेद कपडे के साथ नत्थीकर सील मोहर कर संबंधितां के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात पूर्व की भॉति उस प्लास्टिक की बोतल से पानी लेकर श्री लल्लूराम कानि0 से एक अन्य प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में आरोपी श्री शिवराम मीना सहायक अभियन्ता के बदन पर पहनी हुई पेन्ट बरंग हल्का स्लेटी को शालीनता पूर्वक आरोपी के बदन से उतरवाया जाकर आरोपी के मिलने वाले से मगवाया गया लोवर पहनाया गया। इसके बाद उक्त पेन्ट की अन्य जेबो की गवाह प्रीतम सिंह से जामा तलाशी लिवाई गई तो बगल की दाहिनी जेब में एक मोबाईल वन प्लस सिलवर कलर मय सिम नम्बर एंव तथा 250 रूपये नगद मिले जो गवाह के पास सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात आरोपी के बदन से उतरवाई गई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब जिससे रिश्वत राशि बरामद की गई थी को उल्टवाकर उसका धौवन लिया गया, तो धौवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी सम्बन्धित ने देखकर गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पष्चात उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कॉच की शीषीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P-1 व P-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। इसके बाद उक्त पेन्ट जिसकी जेब से रिश्वती राशि बरामद की गई थी। उसकी उक्त जेब को अच्छी तरह सुखाकर उस पर लाल पेन से गोला कर सबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत एक सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर थैली पर सबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात परिवादी से प्राप्तशुदा वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपी श्री शिवराम मीना सहायक अभियन्ता व आरोपिया श्रीमती मिन्ना खॉन कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) के मध्य रिश्वत लेन-देन की वार्ता टेप होना पाई गई, जिसकी अलग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट व जब्ती एसडी कार्ड/पैनड्राईव तैयार की जावेगी। उक्त कार्यवाही की विभागीय कैमरे में नया एसडी कार्ड लगाकर श्री रवि कुमार कानि0 से विडियोग्राफी करवाई गई । करवाई गई विडियोग्राफी की मेमौरी कार्ड जब्ती व तैयार पेनड्राईव की फर्द पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपी श्री शिवराम मीना सहायक अभियन्ता व आरोपिया श्रीमती मिन्ना खॉन कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) से परिवादी से सम्बन्धित फर्म मैसर्स पोसवाल द्वारा करवाये गये मरम्मत कार्यो से सम्बन्धित बिलो बाबत पूछा गया तो दोनों ने अपने द्वारा उक्त फर्म के बिलो की एमबी पर अपने हस्ताक्षर कर देना तथा वर्तमान में उक्त एमबी आरोपिया मिन्ना खॉन कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) ने अपने कार्यालय कक्ष की अलमारी में होना एंव उक्त बिल की सीसी जारी नही होना बताया। दोनों आरोपीगण के मोबाईल नम्बरों पर परिवादी के मोबाईल नम्बरों से दिनांक 18.09.2026 व 22.09.2026 को हुये वाट्सअप कॉल कर स्क्रीन सोट लिया जाकर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद परिवादी व आरोपीगण से आपसी रंजिश, दुश्मनी व उधार के लेन-देन बाबत पूछा तो तीनों ने ही इंकार किया उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एंव हाथ धुलाई पृथक् से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद परिवादी से फर्म मैसर्स पोसवाल से सम्बन्धित कार्यो की एमबी को जरिये फर्द जब्त किया गया। तत्पश्चात समय करीब 5.30 पीएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी की निशान देही में घटना स्थल का जरिये फर्द नक्शा मौका एंव हालात मौका तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली किया गया। समय 5.55 पीएम पर दोनों आरोपीगण को गिरफतारी की सूचना देने हेतु उनके नाम पत्र जारी किये गये। समय 6.00 पीएम पर आरोपिया श्रीमती मिन्ना खॉन पत्नि श्री मुस्ताक खॉन उम्र 32 साल जाति मेव निवासी मीना कॉलोनी बेलाका अलवर हाल वार्ड नम्बर-02 कठुमर जिला अलवर हाल कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) कार्यालय पंचायत समिति कठुमर जिला अलवर को अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एंव 61(2) बीएनएस में जरिये फर्द गिरफतार गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात समय करीब 6.30 पीएम पर आरोपी शिवराम मीना पुत्र श्री रामस्वरूप मीना उम्र 58 साल जाति मीना निवासी ग्राम पावटा, तहसील कठुमर जिला अलवर हाल सहायक अभियन्ता कार्यालय पंचायत समिति कठुमर जिला अलवर अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एंव 61(2) बीएनएस में जरिये फर्द

गिरफतार गिरफ्तार किया गया। इसके बाद समय करीब 7.30 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक ने दोनों स्वतन्त्र गवाहन एवं परिवादी श्री मोहन श्याम के समक्ष वक्त रिश्वत लेन देन आरोपी श्री शिवराम मीना सहायक अभियन्ता व आरोपिया श्रीमती मिन्ना खॉन कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) एवं परिवादी श्री मोहन श्याम के मध्य मोबाईल/रूबरू हुई रिकार्ड वार्तालाप के रिकॉर्ड शुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में डले हुये मैमोरी कार्ड सहित को लेपटॉप के डैस्कटॉप पर सेव कर उक्त सेव वार्ता को चालू कर टेबिल स्पीकर की मदद से रिकार्ड वार्ताओं को सुना जाकर श्री राजवीर सिंह कानि0 से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री मोहन श्याम द्वारा अपनी आवाज व संदिग्ध आरोपी श्री शिवराम मीना सहायक अभियन्ता व आरोपिया श्रीमती मिन्ना खॉन कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर की आवाज की पहचान की गई। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपातंरण श्री राजवीर सिंह कानि0 से टकंण करवाया गया। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता का पैन ड्राईव बनवाने हेतु तीन खाली पैन ड्राईव सैनडिस्क हमराह लाये ट्रैप बॉक्स से निकलवाकर तीनों पैन ड्राईव SANDISK 16 GB खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर मे डले 08 जीबी मैमोरी कार्ड से लैपटॉप की सहायता से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा बारी-बारी से तीन पैन ड्राईव तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पैन ड्राईव व डिजिटल वाईस रिकार्डर मे डले 08 जीबी मैमोरी कार्ड को वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाला जाकर लैपटॉप की सहायता से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा बारी-बारी से हैश वैल्यू लेपटॉप मे एफटी के इमैजर की सहायता से श्री राजवीर सिंह कानि0 से निकलवाई जाकर उक्त हैश वैल्यू का प्रिटं लिया जाकर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात तीनों पैनड्राईव को अलग-2 प्लास्टिक की थैली मे रखकर थैली सहित पैनड्राईव को अलग-2 प्लास्टिक की छोटी डिब्बीयों में रखवाकर प्लास्टिक की डिब्बी सहित तीन पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर मार्का B-1, B-2 व B-3 अंकित किया जाकर मार्क B-1 व B-2 को सील्ड मोहर कर सबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा तीसरे पैन ड्राईव की कपड़े की थैली मार्क B-3 को अनुसंधान हेतु पत्रावली पर अनशील्ड रखा गया। इसके बाद एसडी कार्ड को एक प्लास्टिक की डिब्बी मे रखकर डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क SD-2 अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। दोनों आरोपीगण का मेडिकल मुआयाना करवाया गया। तत्पश्चात समय करीब 11.30 पीएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मोहन श्याम से आरोपी शिवराम मीना सहायक अभियन्ता द्वारा 25,000/-रूपये व आरोपिया श्रीमती मिन्ना खॉन कनिष्ठ तकनीकी सहायक (संविदाकर्मी) द्वारा 10,000 रूपये रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त करने पर परिवादी से निर्धारित ईशारा मिलने पर बरामदी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई की कार्यवाही शुरू करने से पूर्व सरकारी कैमरे मे 32 जीबी सेनडिस्क मेमोरी कार्ड डालकर श्री रवि कुमार कानि से वीडियोग्राफी तैयार करवाई गई थी। उक्त कैमरे से मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड को लेपटॉप मे कनेक्ट कर करवाई गई वीडियोग्राफी को लेपटॉप मे सेव करवाया जाकर ट्रेप बाक्स से दो खाली पेनड्राईव 32 जीबी निकलवाकर करवाई गई वीडियो ग्राफी के बारी-बारी से तैयार करवाये गये। इसके बाद दोनों पेन ड्राईव का लेपटॉप मे सेव वीडियोग्राफी से बारी-2 से मिलान किया गया तो मेमोरी कार्ड में हुई वीडियोग्राफी से मिलान होना पाया गया। तत्पष्चात पैन ड्राईव एवं वीडियोग्राफी में काम में लिये गये एसडी मेमौरी कार्ड की हैश वैल्यू लेपटॉप मे एफटी के इमैजर की सहायता से श्री राजवीर सिंह कानि0 से निकलवायी जाकर हैश वैल्यू का प्रिटं लिया जाकर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद पेनड्राईव को पृथक पृथक प्लास्टिक की डिबियो मे रखकर डीबियो को पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क क्रमश V-1व V-2 अंकित कर पेन ड्राईव मार्क V-1 को सील मोहर कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया एंव पेन डाईव मार्क V-2 को अनुसंधान हेतु खुली अवस्था मे रखा गया। तत्पश्चात मेमोरी कार्ड 32 जीबी को एक प्लास्टिक की डिब्बी मे रखकर प्लास्टिक की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क SD-3 अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात दिनांक 23.09.2026 को समय करीब 1.00 एमएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के समक्ष ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड मोहर करने के काम में ली गई पीतल की नमूना सील जिस पर ACB ALW II (33) लिखा हुआ है को बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही श्री लल्लूराम कानि0 487 से तुडवाकर जरिये फर्द नष्ट करवाया गया। इसके बाद समय करीब 4.30 एएम पर परिवादी श्री मोहन श्याम पुत्र श्री स्व0 श्री मांगीलाल उम्र 20 साल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बडोदाकॉन तहसील कठुमर जिला अलवर को बाद ट्रेप कार्यवाही अपने निवास स्थान के लिए रवाना कर समय करीब 5.00 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों के मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री शिवराम मीना सहायक अभियन्ता एंव आरोपिया श्रीमती मिन्ना खॉन कनिष्ठ तकनीकी सहायक (संविदाकर्मी) कार्यालय पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर व जब्त शुदा आर्टीकल्स, रिश्वती राशि, लैपटॉप प्रिन्टर को हमराह लेकर जरिये प्राईवेट वाहनो से बाद ट्रेप कार्यवाही पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर से एसीबी कार्यालय अलवर के लिए रवाना होकर समय करीब 7.30 एएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान, एंव स्टाफ सदस्यों के मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री शिवराम मीना सहायक अभियन्ता एंव आरोपिया श्रीमती मिन्ना खॉन कनिष्ठ तकनीकी सहायक (संविदाकर्मी) कार्यालय पंचायत समिति कठूमर

जिला अलवर व जब्त शुदा आर्टीकल्स, रिश्वती राशि लैपटॉप प्रिन्टर को हमराह लेकर प्राईवेट वाहनों के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा एसीबी कार्यालय अलवर पर पहुँचा। जब्त शुदा समस्त आर्टीकल्स व सील्ड शुदा समस्त शीशीयॅा व जब्त शुदा रिश्वती राशि नम्बरी 25,000/-रूपये व 10,000 रूपये को श्री रवि कुमार कानि. के सुपुर्द किया जाकर एसीबी कार्यालय भिवाडी के मालखाने में जमा करवाने की मुनासिब हिदायत कर एसीबी कार्यालय भिवाडी के लिए मय प्राईवेट वाहन के रवाना किया गया तथा आरोपीगण को स्टाफ सदस्यों व महिला कानि0 श्रीमती मिनाक्षी की निगरानी में कार्यालय में बैठाया गया। अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही से आरोपी श्री शिवराम मीना सहायक अभियन्ता कार्यालय पंचायत समिति कठुमर जिला अलवर एंव आरोपिया श्रीमती मिन्ना खॉन कनिष्ठ तकनीकी सहायक (संविदाकर्मी) कार्यालय पंचायत समिति कठुमर जिला अलवर एक लोक सेवक होते हुए अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने की एवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुये आपसी मिलीभगत कर परिवादी श्री मोहन श्याम की बहिन के ससूर श्री जल सिंह की फर्म मैसर्स पोसवाल जिसके सारे कार्यो की देखरेख परिवादी द्वारा की जा रही है उस फर्म द्वारा ग्राम ईटोला ग्राम पंचायत बडोदाकॉन में मिले टेण्डर के अनुसार राजीव गॉधी सेवा केन्द्र की मरम्मत व किये गये अन्य कार्यो के बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.09.2026 को आरोपी श्री शिवराम मीना एईएन द्वारा परिवादी से 40 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी द्वारा कम करवाने की रिकवेस्ट करने पर 35,000 रूपये लेने के लिए सहमत होकर मौके पर ही परिवादी से 10,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर 25,000 रूपये की और मांग कर सहमत होना एंव आरोपिया श्रीमती मिन्ना खॉन कनिष्ठ तकनीकी सहायक (संविदाकर्मी) ने परिवादी से बिल पास करने की एवज में 15,000 रूपये रिश्वत की मांग कर 5,000 रूपये मौके पर ही प्राप्त कर 10,000 रूपये की और मांग कर दोनों आरोपीगण ने अपनी उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 22.09.2026 को रिश्वत राशि लेन देन के समय आरोपी श्री शिवराम मीना एईएन द्वारा परिवादी से 25,000 रूपये की रिश्वत राशि अपने दाहिनें हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखना तथा उक्त रिश्वत राशि आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब से बरामद होना तथा आरोपिया श्रीमती मिन्ना खॉन कनिष्ठ तकनीकी सहायक (संविदाकर्मी) ने परिवादी से 10,000 रूपये मांग कर अपने दाहिने हाथ से प्राप्त करना तथा उक्त रिश्वत राशि आरोपिया के दाहिने हाथ से बरामद होने पर आरोपी श्री शिवराम मीना पुत्र श्री रामस्वरूप मीना उम्र 58 साल जाति मीना निवासी ग्राम पावटा, तहसील कठुमर जिला अलवर हाल सहायक अभियन्ता कार्यालय पंचायत समिति कठुमर जिला अलवर एंव आरोपिया श्रीमती मिन्ना खॉन पत्नि श्री मुस्ताक खॉन उम्र 32 साल जाति मेव निवासी मीना कॉलोनी बेलाका अलवर हाल वार्ड नम्बर-02 कठुमर जिला अलवर हाल कनिष्ठ तकनीकी सहायक (संविदाकर्मी) कार्यालय पंचायत समिति कठुमर जिला अलवर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एंव 61(2) बीएनएस में प्रथम दृष्टया बखूबी प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीगण के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।(सुरजीत सिंह) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी........कार्यवाही पुलिस........ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरजीत सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनयिम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023में आरोपीगण 1- श्री शिवराम मीना पुत्र श्री रामस्वरूप मीना, उम्र 58 साल, जाति मीना, निवासी ग्राम पावटा, तहसील कठुमर, जिला अलवर हाल सहायक अभियन्ता, कार्यालय पंचायत समिति कठुमर, जिला अलवर एवं 2- श्रीमती मिन्ना खॉन पत्नि श्री मुस्ताक खॉन, उम्र 32 साल, जाति मेव, निवासी मीना, कॉलोनी बेलाका, अलवर हाल वार्ड नम्बर-02, कठुमर, जिला अलवर हाल कनिष्ठ तकनीकी सहायक(संविदाकर्मी),कार्यालय पंचायत समिति कठुमर, जिला अलवर विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 335 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1546-50 दिनांक 24-09-2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर 2- आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर 3- जिला कलक्टर, अलवर 4- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जयपुर 5- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Ravindra Singh Shekhawat **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 24/09/2026 13:41:19

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1968				
2	Female	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)